



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125225

## इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या- 18652 वर्ष 2026

रोहित

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : बिनोद कुमार त्रिपाठी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

### न्यायालय संख्या - 34

#### माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री बिनोद कुमार त्रिपाठी और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन आवेदक द्वारा निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर किया गया है:

"अतः, अत्यंत आदरपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्वक इस आवेदन को स्वीकार करने और थाना अवागढ़, जिला एटा से संबंधित वाद अपराध संख्या- 185 वर्ष 2025 से उद्भूत आपराधिक मामला संख्या- 21 वर्ष 2026 (राज्य बनाम रोहित), अंतर्गत धारा 281, 125(ख), और 106(1) बी.एन.एस. में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन), जलेसर, एटा द्वारा पारित संज्ञान आदेश दिनांक 08.01.2026 के साथ-साथ संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने की कृपा करे।"

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उसे झूठे और निराधार आरोपों के आधार पर इस मामले में झूठा फंसाया गया है। विपक्षी संख्या- 2 ने दिनांक 23.07.2025 को हुई दुर्घटना के संबंध में थाना अवागढ़, जिला एटा में एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध धारा 106(1), 125(ख), 281 बी.एन.एस. के तहत वाद अपराध संख्या- 185 वर्ष 2025 के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपों के अनुसार, एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने विपक्षी संख्या- 2 के भाई की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। विपक्षी संख्या- 2 के भाई को उसकी पत्नी के साथ गंभीर चोटें आईं और बाद में उसकी मृत्यु हो गई।

4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विवेचना के दौरान मोटरसाइकिल संख्या- यूपी 82 आर 8873 के स्वामी का बयान दर्ज किया गया, जिसने कहा कि कथित घटना के समय आवेदक दुर्घटना कारित करने वाली मोटरसाइकिल चला रहा था। उक्त घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। विवेचना के पश्चात आरोप पत्र दाखिल किया गया और विद्वान मजिस्ट्रेट ने संज्ञान ले लिया है, जबकि आवेदक के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है, इसलिए संज्ञान आदेश और आरोप पत्र निरस्त किए जाने योग्य हैं।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि दिनांक 23.07.2025 को आवेदक मोटरसाइकिल संख्या- यूपी 82 आर 8873 को तेजी और लापरवाही से चला रहा था। उसने उक्त मोटरसाइकिल से विपक्षी संख्या- 2 के भाई की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। विपक्षी संख्या- 2 के भाई को चोटें आईं और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। दुर्घटना कारित करने वाली मोटरसाइकिल के स्वामी का बयान दर्ज किया गया, जिसने बताया कि घटना के समय आवेदक उक्त मोटरसाइकिल चला रहा था। विवेचना के उपरांत आरोप पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विवेचना के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों के अनुसार, यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है, इसलिए आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

6. इस मामले के तथ्यों के अनुसार, थाना अवागढ़, जिला एटा में मोटरसाइकिल संख्या- यूपी 82 आर 8873 के अज्ञात चालक के विरुद्ध धारा 106(1), 125(ख), 281 बी.एन.एस. के तहत

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वाद अपराध संख्या- 185 वर्ष 2025 के रूप में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई थी। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, मोटरसाइकिल संख्या- यूपी 82 आर 8873 के सवार ने मोटरसाइकिल संख्या- यूपी 82 एपी 2551 में टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। विपक्षी संख्या- 2 के भाई को उसकी पत्नी सहित चोटें आईं। उपचार के दौरान उसके भाई की मृत्यु हो गई। विवेचना के दौरान, उक्त मोटरसाइकिल के स्वामी का बयान दर्ज किया गया जिसमें उसने बताया कि घटना के समय आवेदक उक्त मोटरसाइकिल चला रहा था। विवेचना के पश्चात आरोप पत्र दाखिल किया गया और विद्वान मजिस्ट्रेट ने संज्ञान ले लिया है।

7. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और मामले के तथ्यों के परिशीलन से, इस चरण में यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए सभी तर्क तथ्यों के विवादित प्रश्नों से संबंधित हैं, जिनका न्यायिक निर्धारण इस न्यायालय द्वारा धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नहीं किया जा सकता है। इस चरण में, केवल प्रथम दृष्ट्या मामले पर ही विचार किया जाना है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1960 एससी 866; हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 एससीसी (क्रिमिनल) 426; और बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा, 1992 एससीसी (क्रिमिनल) 192* के मामलों में प्रतिपादित कानून के आलोक में कहा गया है। इस चरण में आवेदक के विवादित बचाव पर विचार नहीं किया जा सकता है।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मुझे उपरोक्त मामले को निरस्त करने का कोई आधार नहीं मिलता है, इसलिए इसे निरस्त करने की प्रार्थना को एतद्वारा अस्वीकार किया जाता है और यह आवेदन खारिज किया जाता है।

04 जून, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।